

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी—कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या— ४०/२०१८

प्रार्थी
यूको बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय १० वि.त्रै.म. सरणी, (ब्रेबोर्न रोड) कोलकता में स्थित कार्यरत है जिसका एक शाखा कार्यालय—डांगावास, जिला नागौर (राजस्थान) में स्थित व कार्यरत है।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मैसर्स देव नारायण फिलिंग स्टेशन पता— मेडता गोटेन सडक, ग्राम लाम्बा जाटान, तहसील मेडता जिला नागौर (राजस्थान)
2. जगदीश गर्जुर पुत्र करना राम पता— ३१, गर्जुरो का बास, ग्राम लाम्बा जाटान तहसील मेडता जिला नागौर (राजस्थान)
3. करना राम पुत्र धोकल राम गर्जुर पता— गर्जुरो का बास, ग्राम लाम्बा जाटान तहसील मेडता जिला नागौर (राजस्थान)

आदेश

दिनांक: २४-०६-२०१८

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा १४ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रुपये १२,००,०००/- (बारह लाख रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक १८.११.२०१४ को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति — अनुसूची— १ श्री जगदीश गर्जुर पुत्र श्री करना राम की व्यवसायिक सम्पत्ति जो मेडता गोटेन सडक, ग्राम लाम्बा जाटान, तहसील मेडता सिटी, जिला नागौर (राजस्थान) पर स्थित है। जिसका खसरा/सर्वे नं. २७३२/२७१०, संपरिवर्तन आदेश नं—८७६, दिनांकित ०३.०७.२०१२ है। जिसमें भूमि व भवन आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग ४९८.८७ वर्ग मीटर है। चतु सीमा उत्तर में— खसरा नं (सर्वे नं.)— २७०८/१५३ का भाग, दक्षिण में—सडक, पूर्व में— खसरा नं. (सर्वे नं.) २७०८/१५३ का भाग, पश्चिम में बिरमा राम जाट का फार्म। अनुसूची—२ श्री करना राम पुत्र श्री धोकल राम गर्जुर की व्यवसायिक सम्पत्ति जो मेडता गोटेन सडक, ग्राम लाम्बा जाटान, तहसील मेडता सिटी, जिला नागौर (राजस्थान) पर स्थित है। जिसका खसरा/ सर्वे नं. २७३४/२७०८, संपरिवर्तन आदेश नं. ८६८, दिनांकित ०३.०७.२०१२ है। जिसमें भूमि व भवन आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका माप लगभग ४९७.९४ वर्ग मीटर है। चतु सीमा उत्तर में— खसरा नं. (सर्वे नं.) २७०८/१५३ का भाग, दक्षिण में—सडक, पूर्व में— खसरा नं. (सर्वे नं.) २७०८/१५३ का भाग, पश्चिम में— श्री जगदीश गर्जुर की भूमि जो खसरा नं. २७०८/१५३ व २७१०/१५३ का भाग है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक ३१.१.२०१८ को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये १२,२७,४१५/- (अक्षरे बारह लाख सताईस हजार चार सौ पन्द्रह रुपये मात्र)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर



दिनांक 31.01.2018 तक (जिसमें दिनांक 31.01.2018 तक का ब्याज शामिल है) व आगे का ब्याज बकाया राशि व खर्च आदि सहित राशि का पूर्णभुगतान करने तक बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 23.02.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 12,27,415/- (अक्षरे बारह लाख सताईस हजार चार सौ पन्द्रह रुपये मात्र) दिनांक 31.01.2018 तक (जिसमें दिनांक 31.01.2018 तक का ब्याज शामिल है) व आगे का ब्याज बकाया राशि व खर्च आदि सहित राशि का पूर्णभुगतान करने तक को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतिया म कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- अनुसूची- 1 श्री जगदीश गर्जुर पुत्र श्री करना राम की व्यवसायिक सम्पत्ति जो मेडता गोटेन सडक, ग्राम लाम्बा जाटान, तहसील मेडता सिटी, जिला नागौर (राजस्थान) पर स्थित है। जिसका खसरा/सर्वे नं. 2732/2710, संपरिवर्तन आदेश नं-876, दिनांकित 03.07.2012 है। जिसमें भूमि व भवन आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 498.87 वर्ग मीटर है। चतु सीमा उत्तर में- खसरा नं (सर्वे नं.)- 2708/153 का भाग, दक्षिण में-सडक, पूर्व में- खसरा नं. (सर्वे नं.) 2708/153 का भाग, पश्चिम में बिरमा राम जाट का फार्म। अनुसूची-2 श्री करना राम पुत्र श्री धोकल राम गर्जुर की व्यवसायिक सम्पत्ति जो मेडता गोटेन सडक, ग्राम लाम्बा जाटान, तहसील मेडता सिटी, जिला नागौर (राजस्थान) पर स्थित है। जिसका खसरा/ सर्वे नं. 2734/2708, संपरिवर्तन आदेश नं. 868, दिनांकित 03.07.2012 है। जिसमें भूमि व भवन आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका माप लगभग 497.94 वर्ग मीटर है। चतु सीमा उत्तर में- खसरा नं. (सर्वे नं.) 2708/153 का भाग, दक्षिण में-सडक, पूर्व में- खसरा नं. (सर्वे नं.) 2708/153 का भाग, पश्चिम में- श्री जगदीश गर्जुर की भूमि जो खसरा नं. 2708/153 व 2710/153 का भाग है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 12,00,000/- (बारह लाख रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 18.11.2014 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाय जान का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का

श्री जगदीश
नागौर



कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणीद्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति - अनुसूची- 1 श्री जगदीश गर्जुर पुत्र श्री करना राम की व्यवसायिक सम्पत्ति जो मेडता गोटन सडक, ग्राम लाम्बा जाटान, तहसील मेडता सिटी, जिला नागौर (राजस्थान) पर स्थित है। जिसका खसरा/सर्वे नं. 2732/2710, संपरिवर्तन आदेश नं-876, दिनांकित 03.07.2012 है। जिसमें भूमि व भवन आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 498.87 वर्ग मीटर है। चतु सीमा उत्तर में- खसरा नं (सर्वे नं.)- 2708/153 का भाग, दक्षिण में-सडक, पूर्व में- खसरा नं. (सर्वे नं.) 2708/153 का भाग, पश्चिम में बिरमा राम जाट का फार्म। अनुसूची-2 श्री करना राम पुत्र श्री धोकल राम गर्जुर की व्यवसायिक सम्पत्ति जो मेडता गोटन सडक, ग्राम लाम्बा जाटान, तहसील मेडता सिटी, जिला नागौर (राजस्थान) पर स्थित है। जिसका खसरा/ सर्वे नं. 2734/2708, संपरिवर्तन आदेश नं. 868, दिनांकित 03.07.2012 है। जिसमें भूमि व भवन आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका माप लगभग 497.94 वर्ग मीटर है। चतु सीमा उत्तर में- खसरा नं. (सर्वे नं.) 2708/153 का भाग, दक्षिण में-सडक, पूर्व में- खसरा नं. (सर्वे नं.) 2708/153 का भाग, पश्चिम में- श्री जगदीश गर्जुर की भूमि जो खसरा नं. 2708/153 व 2710/153 का भाग है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हों तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
नागौर
जमा माहिरी
उक्त